बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

बिहार गृह रक्षा वाहिनी (संशोधन) नियमावली–2016

अधिसूचना

संख्या–एल/एच०जी०–2602/2015.../ पटना, दिनांक–............................/

भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** –(1) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 के नियम–11 में संशोधनः–** उक्त नियमावली के नियम–11 के उपनियम (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

"(1) प्रत्येक गृह रक्षक स्वयंसेवक को, उनके नामांकन के पश्चात, निम्नांकित बिन्दुओं पर अधिकतम 120 दिनों की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगाः–

I. हथियार अभ्यास सहित पैदल सेना अभ्यास;
II. हथियार प्रशिक्षण;
III. बंदूक चलाने की कला पाठ्यक्रम;
IV. नक्शा पढ़ना;
V. होमगार्ड्स की वैधिक शक्ति;
VI. विधि–व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण;
VII. रण कौशल;
VIII. यातायात एवं भीड़ नियंत्रण;
IX. लाठी अभ्यास;
X. संगीन प्रशिक्षण;
XI. सैन्य शिक्षा;
XII. योग एवं प्राणायाम;
XIII. शारीरिक प्रशिक्षण एवं निहत्थी लड़ाई;
XIV. तैराकी;
XV. वितंतु प्रयोग;
XVI. आपदा प्रबंधन के अधीन बाढ़, सुखाड़, भूकंप, अग्निशमन के दौरान प्राथमिक उपचार एवं राहत कार्य;

XVII. ऐसे अन्य कर्तव्य जो इस नियमावली के नियम–13 के अंतर्गत निर्धारित हैं।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(अरविन्द कुमार सिंह)
सरकार के विशेष सचिव,
गृह विभाग (विशेष शाखा),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– एल/एच०जी०–2602/2015........................../ पटना, दिनांक–......................../

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–4 को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना (अंग्रेजी अनुवाद सहित) की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०–अंग्रेजी अनुवाद।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– एल/एच०जी०–2602/2015........................../ पटना, दिनांक–......................../

प्रतिलिपि:– महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

एल/एच०जी०–2602/2015–5269./ पटना, दिनांक–02/06/16/

प्रतिलिपि:– आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/6/16

सरकार के विशेष सचिव।

01.06.16